

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material

Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwerl979@gmail.com

To

Dy Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Distt. Shimla (H.P).

Subject: Renewal of mining lease of 0.0934 ha (Instead of 0.2898 ha) of forest land for already established Stone Crusher at Pashada and approach road to quarry site at Pashada in favour of M/s Bushahar Laghu Udyog VPO Jhakri, Tehsil Rampur Bushahar, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Ind/35171/2018).

Sir,

On the subject site above the EDS raised by your good office has been attended and Para wise reply for the same is as under.

Sr. No.	Observation	Reply	Remarks
1.	The proposal name mentioned in the State Govt. forwarding letter dated 15.2.20219 is mismatching with Form B, Part-I, Para-A 1 (ii). The proposal has been uploaded under renewal of lease (Form-B and under Industry category on PARIVESH Portal with a proposal name "Diversion of 0.0934 ha (instead of 0.2898 ha) of forest land for already established stone crusher at Pashada...." However, State Govt forwarding letter dated 15.2.2019, it is mentioned that the extant proposal is case of renewal of mining lease of 0.0934 ha (Instead of 0.2898 ha) of forest land for already established Stone Crusher at Pashada and approach road to quarry site at Pashada. Since, this is case a of renewal of lease for already established Stone Crusher under Industry Category, therefore, proposal name on PARIVESH Portal should be reviewed and revised accordingly.	The necessary correction on PARIVESH Portal has been done.	
2.	2. State Govt. may provide the NPV calculation sheet as per the revised NPV rate of MoEF & CC letter vide letter dated 6.1.2022.	Pertains to DFO Office	
3.	Part-1, Para-E(ii) & (iii) needs to be reviewer and revised.	The necessary correction has been done on PARIVESH Portal.	
4.	Layout Plan of the proposed project needs to be reviewed and revised according to the title of the project and clearly showing the measurement and area of the each components along- with the outer boundary of area proposed for diversion in the tune of revenue record in distinct colours, duly	The revised layout plan has been attached with the proposal folders.	Attached as Annexure-I

कनेक्ट वी

	authenticated by concerned DFO.		
5.	Whether the project attracts provision of EIA Notification 2006? If yes, same may be required.	No, EIA is not required as the Stone Crusher is already established.	
6.	The area mentioned in the document 'To whom So ever it May Concern' is mismatching with the area mentioned in the forwarding letter as well as Site Inspection Report. This may needs to be reviewed and revised.	The proposed area for Stone Crusher is 0.0934 Ha. and the renewal of lease is required for the said area only. The total area mentioned as 0.2898 Ha. has been approved under FCA 1980, and 0.1964 Ha. area has been surrendered and does not require renewal. Hence, only 0.0934 Ha. is final and renewed under FCA, 1980.	Undertaking attached as Annexure-II
7.	The area proposed for diversion (0.0934 ha) is mismatching with the area mentioned in the field book (0.0801 ha) of revenue record. This needs to be reviewed and revised.	The field book with area shown as 0.0801 ha. is not part of the project and has been mistakenly attached with the proposal folders, it may not be treated as part of the project.	Undertaking has been attached as Annexure-III
8.	Brief Note of the Project is missing. This may need to be provided.	The brief note on project has been attached in the proposal folders	Attached as Annexure-IV
9.	State Govt. may provide the copy of records of all consultation and meetings of FRC and Gram Sabha of concerned village before Stage-II approval.	Complete FRA Certificate has been attached and uploaded on the Portal.	Attached as Annexure-V
10.	Access/approach road component is missing in Part I, Para-B-2.4 be mentioned.	The Approach Road is not required as the proposed site is adjacent to the NH-05 and revised layout plan and revenue papers for the same has been attached.	
11.	The legal status of the DA land mentioned in Part-II, Para 2 is mismatching with Part-II, Sr. No. 5(v). Needs to be reviewed and revised.	Pertains to DFO Office	
12.	No area has been marked for access/approach road component in revenue record. However, the same has been shown in Layout Plan. Therefore State Govt. may review and revise the same accordingly.	The proposal is for renewal of already existing stone crusher and approach road is not required as the proposed site is adjacent to the NH-05 and revised layout plan and revenue papers for the same has been attached.	Layout Plan attached as Annexure-I
13.	The proposed project is linked with the proposal No. FP/HP/MIN/34194/2018, which is under processing/examination at (RO, Shimla. Therefore, State Govt. may mark the mining area of the proposal in Layout Plan in distinct colour, duly authenticated by DFO. Further, the KML file may also be reviewed and revised in view of the approved and proposed project.	Revised Layout Plan has been attached with the proposal	Layout Plan attached as Annexure-I
14.	The proposed project is linked with the previously approved proposal vide letter no. 9-HPB/414/1997/CHA dated 18.8.2006 and Rs. 20000/- has been charged by the State Govt. in lieu of CA and according to the Part-1, Para-A80) 0.1964 ha area has been transferred with Reclamation Plan of the DA to the State Forest Department by User Agency (UA) dated 10.9.2018, after completion of the approved (FP/HP/MIN/34194/2018) project. Therefore, State Govt may provide the shape file / polygon of	The CD has been attached with the proposal folders. Copy of Reclamation plan has been attached.	Reclamation Plan attached as Annexure-VI

M/s. Bushahr Laghu Udyog
 कुलगुरु दफा
 Authorised Signatory

	0.1964 ha land in CD form with survival percentage of plantation raised as per the approved Reclamation Plan.		
15.	As per the proposal 0.0934 ha area is proposed for diversion. However, DSS analysis calculated the DA of the proposal is 0.08 ha. This may be reviewed and revised.	Pertains to DFO Office	
16.	Part-II, Para-8(i) shows that the leopard and other Wildlife are present in and around the area proposed for diversion. Therefore State Govt may review and revise the proposal in pursuance of MoEF&CC letter dated 7.6.2022 and may submit the Wildlife Management Plan (WMP) along-with detail cost of its implementation in this regard.	Pertains to DFO Office	Undertaking to pay cost of WLCP attached as Annexure--VII
17.	In Part-II, Para-6, it is mentioned that proposed site is not seriously eroded or is not much vulnerable to erosion. However, the KML file shows that the area is a hilly/sloped terrain and the forest adjoining area may prone to soil erosion/landslide during or after the execution of the project. Therefore, State Govt. may review and revise the proposal in pursuance of the MoEF&CC letter dated 7.6.2027 and may submit the Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) along-with detail cost of its implementation in this regard, if required.	The rock in the mining lease area is quartzite rock which is hard, stable and least prone to slide due to systematic and scientific mining. Moreover, various mitigation measures will be adopted during and after execution of the project like, construction of R/Wall and B/Wall etc. Also, the cost of SMCP will be paid as per guidelines of forest department.	Attached as Annexure-VIII
18.	The recommendation letter of the DFO uploaded in Part-II, Para- 16 is found blank. The signed copy of the same may be uploaded.	Pertains to DFO Office	
19.	State Govt. may provide the NoC for establishment of Stone Crusher, issued by the competent authority of HPSPCB in favour of the UA.	Stone crusher has been established in the year 1985 and consent of HPSPCB was not necessary at that time but when this rule came into existence the consent has been obtained from HPSPCB in the year 30.08.2006, 2010-2011 & 12 and renewed accordingly. Further, The process of renewal of NOC from HPSPCB is under process and will be provided after Stage-I approval.	Undertaking has been attached as Annexure-IX
20.	The project is directly accessed/approached from the NH 5. Therefore, State Govt. may provide the NoC for direct access/approach of proposed project, issued by the competent authority of NH in favour the UA.	The process of obtaining NOC from concerned department is under process and will be provided before Stage-II approval. Also, copy of application submitted for the same has been attached and uploaded on the portal.	Undertaking Attached as Annexure-X
21.	The validity of the Letter of Intent has been expired on dated 24.8.2019 issued by the competent authority in favour of the UA. Therefore, State Govt, may provide the same.	The latest Letter of Intent issued by the competent authority has been attached with the proposal folders	Attached as Annexure-XI
22.	The shape of the diversion area (DA) marked on the Sol map is not in proper shape according to the revenue record. Revised Sol map of DA may also be provided/uploaded on PARIVESH portal.	Revised Sol Map has been uploaded on the PARIVESH Portal.	Attached as Annexure-XII

This is requested to your good self that kindly expedite the said FCA case for further process at the earliest please.

M/s. Bushahr Laghu Udyog
 क. ब. ग. ल. उ. द. य. ग.
 Authorised Signatory

FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020-711-14

Dated: 12-11-2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-09-34 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of M/S Bushahr Laghu Udyog Prop Smt. Kanegtu Devi for installation of Stone Crusher at Pashada (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Pashada, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-09-34 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.

The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(l) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

9/3

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 6-11-2020 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Pashada claiming rights in village forest area(s) **00-09-34 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Pashada claiming right in **00-09-34 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

9	Construction of Bus Stand Takdech, Sub-Tehsil Takdech, District Shimla.
10	Construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla.
11.	Construction of mining site for Laghu Udyog, Village & P.O. Jhakri, Tehsil Rampur.
12.	Setting up of Battalion of NDRF at Dakolar (Rampur), Tehsil Rampur, District Shimla.
13.	Construction of Tehsil Office-cum-residential colony at Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla.
14.	Construction of road from PHC Bahli Kainchi to Nagadhar, Tehsil Rampur, District Shimla.
15.	Installation of Stone Crusher at Pashada, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	Construction of storage Dam on Giri River at Sainj, Tehsil Theog, District Shimla.
17.	Construction of link road to village Nadhal, Gram Panchayat Kuddu, Sub-Tehsil Saraswati Nagar, District Shimla.
18.	Construction of 220 KV D/C Transmission line from 66 KV/132KV/220KV Pooling Station Sunda (at Chirgaon) to 220 KV Switching Station Hatkoti, District Shimla.
19.	Construction of Kupa Kohlara Micro Hydel Project, Tehsil Jubbal, District Shimla.
20.	Construction of road from Dhangrigar Kandola to Bangsar, Tehsil Chirgaon, District Shimla.

All the cases were considered by the committee and after discussion, cases at Sr. No. 1 to 15 and 17 to 20 were approved to issue FRA Certificate for processing cases under Forest Conservation Act, 1980.

In case of proposal at Sr. No. 16 regarding construction of storage Dam on Giri River at Sainj, it was decided that the case will be discussed in the presence of representative of IPH Department in the next meeting.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**

11

(A)

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Surender Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 22-08-2020 at 11:00 AM at Rampur; in which the application of the applicant of Bushahr Laghu Udyog for diversion of forest land area measuring 00-09-34 hect. at Pashada of land in Forest Division Rampur for installation of Stone crusher at Pashada Tehsil Rampur District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Pashada was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 22-08-2020

(Signature)
SDO & Cum-Chariman,
Sub-Divisional Level Committee

12

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 22-08-2020 की कार्यवाही

आज दिनांक 22-08-2020 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया

1. श्री देवा चन्द नेगी नायब तहसीलदार रामपुर।
2. श्री चन्द्रप्रकाश सहायक अभियंता रामपुर।
3. श्री बृज लाल सहायक अभियंता ननखड़ी।
4. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली।
5. श्रीमति विशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)
6. श्रीमति रजनी शर्मा गाँव बड़ो गो डा. व तहसील कुमारसैन। (गैर सरकारी सदस्या)
7. श्री चेशवर बुशेहर लघु उद्योग झाकड़ी।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या -1 NDRF बटालियन की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 2752/1 रक्बा तादादी 04-52-46 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनद्वारा मुताविक नक्शा वर्तन मौजा शिंगला दर्ज मालकागजात है प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति/नगरपरिषद ने प्रस्ताव संख्या 238/10 दिनांक 03-07-2020 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति रामपुर ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार

अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -2

तहसील ननखड़ी के भवन व आवासीय कालोनी निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा DPF भोरजा में खसरा नंबर 8/1 तादादी रकबा 00-18-00 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत थाना-ननखड़ी ने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 02-10-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार थाना-ननखड़ी ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -3

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) नैहरा से नागाधार सड़क के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा नैहरा में तादादी रकबा 01-52-76 हेक्टेयर व मौजा DPF थेड़ा में तादादी रकबा 00-01-71 हेक्टर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत/ वन अधिकार समिति नैहरा तथा चौका में क्रमशः प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 14-01-2018 व प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 05-06-2020 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार नैहरा व चौका ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

3
4
मद संख्या 4 बुशहर लघु उद्योग द्वारा स्टोन केशर के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा पशाडा में कित्ता 2 तादादी रकवा 00-09-34 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत/ वन अधिकार समिति रचोली ने प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 27-01-2019 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार रचोली ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपत्ति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है। अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया

उप-मंडलाधिकारी, (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0,

पृष्ठांकन संख्या आर0एम0पी0/एस0डी0के0/2020- 674 दिनांक 31-8-2020.

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित

7c.
उप-मंडलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0

वन अधिकार की प्रतीति
वन अधिकार समिति
ग्राम पहास
प्रतिष्ठित प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 03-1-2019

वन अधिकार समिति ग्राम पहास की बैठक आरंभ दिनांक 03-1-2019
को 11 नम्र. स्थान पहास में श्री/श्रीमति राजेन्द्र सिंह
की अध्यक्षता में की गई प्रारंभ पहास ग्राम के अनुमति जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मन्त्रालय अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पहास
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें वन विभाग द्वारा पहास क्षेत्र पहास क्षेत्र पहास
निष्पत्ति के लिए पहास वन भूमि से उपयोग की जाती प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
ग्रामवासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर ध्यान की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
ग्रामवासियों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	<u>श्रीमती कृष्णा देवी</u>	<u>पहास</u>	<u>00-0934</u>
2.	<u>श्रीमती लक्ष्मी देवी</u>	<u>पहास</u>	

तदनुसार वन अधिकारों को निरस्त करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

अतः वन अधिकारों से निम्न लिखित पात्रों का दावा निरस्त करने की सिफारिश की जाती है।

क्र.सं.	* पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.			
2.			

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान पहास
दिनांक 03-01-2019

अधीक्षक जंगल विभाग
ग्राम सभा
वन अधिकार समिति अध्यक्ष

* ग्रामवासी/ग्रामवासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

गाम सभा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 03-01-2019

गाम सभा प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 03-01-2019

गाम सभा 42115/ की बैठक आज दिनांक 03-01-2019 को 11 बजे
 जहाँ स्थान 42115/ में श्री/श्रीमति 42115/ की अध्यक्षता में
 की गई जिसमें 42115/ गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 42115/ जंगल/वन
 क्षेत्र में जिनमें 42115/ विभाग द्वारा 42115/ के निवास के लिए 00-0934 वन
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए यह है। इस गाम सभा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस गाम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* गांव गाम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	मोमति कुंवर देवी देवी	42115/	00-09-34
2.	लायु (पुत्री) पद्मा	42115/	00-09-34

उपरोक्त वन गाम सभा इस दावा/ इन दावों का पारित करते हुए इसे उन खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
 उपरोक्त ने से निम्न लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं. * गांव गाम वासी का नाम

1.

2.

उपरोक्त गाम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
 या

इस गाम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान 42115/

दिनांक 03-01-2019

अधीकृत हस्ताक्षर

गाम सभा

वन अधिकार समिति परमादा

* गामवासी/गाम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे (हिउप्र०)
 आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
 उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान

गाम सभा

गाम सभा

तह० रामपुर जिला 12115/ 116034

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारन्टी) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा रुखी
विकास खण्ड रामपुर जिला बिहार (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27-01-2019

गणपूर्ति 135 / 560

प्रस्ताव संख्या 14

विषय: जनजाति कनेक्शन के लिए प्लॉट विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु रुखी
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 60-09-34 MA हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा रुखी की बैठक/आपन दिनांक 27-1-2019
को रुखी स्थान रुखी में
जहाँ रुखी विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु 60-09-34 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
60-09-34 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारन्टी) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सन्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 60-09-34 हेक्टेयर वन भूमि को रुखी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा रुखी की सहमति दी जाती है।

स्थान रुखी
दिनांक 27-01-2019

अध्यक्ष/हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

सचिव

प्रमाण

वि०प्र० संयुक्त जिला, हि०प्र०

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारन्टी) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा रुखी
विकास खण्ड रामपुर जिला बिहार (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27-01-2019

गणपूर्ति 135 / 560

प्रस्ताव संख्या 14

विषय: जनजाति कनेक्शन के लिए प्लॉट विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु रुखी
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 60-09-34 MA हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा रुखी की बैठक/आपन दिनांक 27-1-2019
को रुखी स्थान रुखी में
जहाँ रुखी विभाग/संस्था को रुखी
के निर्माण हेतु 60-09-34 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
60-09-34 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारन्टी) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सन्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 60-09-34 हेक्टेयर वन भूमि को रुखी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा रुखी की सहमति दी जाती है।

स्थान रुखी
दिनांक 27-01-2019

अध्यक्ष/हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

सचिव

प्रमाण

वि०प्र० संख्या वि०प्र०

कार्यवाही रजिस्टर

विकास खण्ड

जिला

(हि.प्र.)

क्र.सं.	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान एवं सदस्यों के हस्ताक्षर
2		3	4
		कि गोव पशुधन के एपेन मैराल लगाने पर कोई कापसी नहीं है। उत्पादक संवर्धन से प्राप्त है। प्रस्ताव नं- 15: सीमांत कनैगलु डेवी कुंभेड लघु प्रयोग हाथ गोव पशुधन में वन भूमि 2-15-32 पर एपेन मैराल निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है। कोट। कैड में डिप्लोमा विषय फल प्राप्त (पूर्व-चर्चा में गई) था गया है कि गोव पशुधन के वन भूमि 2-15-32 पर सीमांत कनैगलु डेवी कुंभेड लघु प्रयोग हाथ सचिन मैराल लगाना जाना प्रस्तावित हो मुकम्मल में निर्णय लिया गया है कि गोव पशुधन के एपेन मैराल लगाने पर कोई कापसी नहीं है। उत्पादक संवर्धन से प्राप्त है।	
	प्रस्ताव नं- 16: -0 परिवार स्थाने कलंग कसे कोट। -		

कैड के अग्रज मधोडु हाथ स्थाने कलंग कसे कोट। निर्माण
पर मुकम्मल में निर्णय लिए गए जो सर्वसम्मति से कलंग
कसे कोट।

क्र.सं.	नाम	स्थान
1	कुलदीप सिंह	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
2	गोवधन दास	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
3	कुंभेड डेवी	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
4	डेवी राम	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
5	समानांतरि डिग्री	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
6	समानांतरि डिग्री	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
7	कुंभेड लाल	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
8	दिस लाल	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।
9	लाल राम	समानांतरि डिग्री कलंग कसे कोट।

सचिव
ग्राम पंचायत रजिस्ट्री
विकास खण्ड संग्रह दुधर
जिला मिला (हि.प्र.)

041

कार्यवाही रजिस्टर

विकास खण्ड

जिला

(हि.प्र.)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान एवं सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4
प्रस्ताव नं-12:-	बुढ़ापा, विधवा तथा अंधा पैंगन लगाने के लिए महोदय जी ने यह प्रस्ताव समिति में लाया गया है कि पात्र 0.5 अक्षरों को बुढ़ापा, विधवा तथा अंधा पैंगन लगाने के लिए आति आवश्यक है कि अंग्रेजी में निम्न लिखित पात्र 0.5 अक्षरों को बुढ़ापा, विधवा तथा अंधा पैंगन पैंगन लगाने के लिए चयनित किया गया है। निम्न प्रकार से है।	
संख्या नाम पिता/पति	उम्र	पैंगन की संख्या
1) श्रीमती लक्ष्मी देवी श्री. रामलाल	रानी	बुढ़ापा
2) श्रीमान दास श्री. काल राम	शरणा (पिता) पत्नी	बुढ़ापा
3) श्री दुर्गा देवी श्री. राम	अनार	बुढ़ापा

- 4) श्रीमती उमा देवी श्री. सुनाराम करी रानी विधवा
- 5) श्री वृणाराम श्री. अरुण लाल रानी बुढ़ापा
- 6) श्री रूप सिंह श्री. रंजित सिंह रानी बुढ़ापा

जहाँ प्रस्ताव के माध्यम से
श्रीमान लक्ष्मीलाल कल्याण अधिकारी रामपुर से अंग्रेजी का
कमरे में डाली है कि विधवा सदस्यों को लाभ
पैंगन लगाने की हवा देता प्रस्ताव पारित है।
प्रस्ताव नं-13:- अंग्रेजी में बाल-पत्र

महोदय जी ने लोगों के साथ विचार-विमर्श करके
प्रस्ताव पारित है।

प्रस्ताव नं-14:- श्रीमती कनेगल देवी बुढ़ापा लघु विभाग द्वारा अंग्रेजी पत्रिका
में वन भूमि 00-09-34 डेन्वर पर स्थित जैशर का निर्माण के लिए अंग्रेजी
पत्रिका पर।

जहाँ से विधवा विभाग के विचार-विमर्श
पत्रिका की गई गौन पत्रिका में वन भूमि 00-09-34 डेन्वर पर
श्रीमती कनेगल देवी बुढ़ापा लघु विभाग द्वारा स्थित जैशर का
पत्रिका पर है - पत्रिका विभाग यह निर्णय लिया गया है।

उपस्थित सदस्यों का नाम

2

सभा केन्द्र में स्थली स्कूलों के रिकार्ड जिले में
रखा है, जहाँ वहाँ, रखा है, रखा है, रखा है, रखा है -
आवेदन दिये जा रहे हैं कि जो भी रखा है, रखा है, रखा है
नहीं उठाई गई है, हटोया निष्ठावित्त से है, निष्ठावित्त
साक्षात्कार के द्वारा किया गया है।

कोरकण/अवधि

कोरकण/अवधि

कोरकण स्कूल का नाम	कोरकण/अवधि
① राजकीय प्राथमिक पाठशाला सनावली	1-10-18 से 31-12-18
② राजकीय प्राथमिक पाठशाला केरी	1-10-18 से 31-12-18
③ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोग	1-10-18 से 31-12-18
④ राजकीय प्राथमिक पाठशाला पम्मा	1-10-18 से 31-12-18
⑤ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोग	1-10-18 से 31-12-18
⑥ राजकीय प्राथमिक पाठशाला केरी	1-10-18 से 31-12-18
⑦ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोग	1-10-18 से 31-12-18

⑧ राजकीय प्राथमिक पाठशाला पम्मा	1-10-18 से 31-12-18
⑨ राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोग	1-10-18 से 31-12-18
⑩ राजकीय प्राथमिक पाठशाला केरी	1-10-18 से 31-12-18

उपरोक्त स्कूलों का साक्षात्कार
कोरकण से सम्पन्नित हो जायेगा, निष्ठावित्त से
पास है।

पुनरावेदन 10. - 2 माह की अवधि वितरण की मंजूरी देकर पाठशालाओं
का चयन करें। - 0

जो भी यह प्रस्ताव अमल में लाया गया है कि
कोरकण में 2 माह की अवधि वितरण की मंजूरी देकर
पाठशालाओं को देकर (जो भी) कोरकण में सक्षमता
आवेदन पर जाते हैं कि देकर हटोया निष्ठावित्त से है।
कोरकण नाम

कोरकण नाम	पितापति
① श्री देवादेव क. गौरी	गौरी
② श्री मोहन सिंह क. जान दास	पम्मा
③ श्री दाम देवदास क. सावित्रराम	जोग
④ श्री भूपेन्द्र शर्मा क. उताप चन्द	हलोग
⑤ श्री सुरेश शर्मा क. उताप चन्द	दरभारी

गौरी

पम्मा

जोग

हलोग

दरभारी

दरभारी

कार्यवाही रजिस्टर

037

17D

विकास खण्ड

जिला

(दि० प्र०)

पंचायत सदस्यों का नाम

नियमित कार्य का विवरण

पंचायत एवं सदस्यों के हस्ताक्षर

2

3

4

- ① श्री हनुमान चंद का. लोचन-नर
- ② श्री मनोहर लाल का. फिरोजपुर
- ③ श्री राजेंद्र सिंह का. बानुराव
- ④ श्री लक्ष्मण चंद का. लोचनराव
- ⑤ श्री परमेश्वर दास का. डेवरवा
- ⑥ श्रीमति विमला देवी का. उज्जैन सिंह
- ⑦ श्री रत्नराव का. डेवरवा
- ⑧ श्री विमलेश लाल का. लुण्डा
- ⑨ श्रीमति कमला देवी का. बानुराव
- ⑩ श्रीमति मेनका देवी का. रात सिंह
- ⑪ श्री जयदेव कुमाल का. भुलराज

कोटा जिला के गांधीपुर के

श्रीमान वन दूधर कीर्तिसिंह रायपुर से गुरु लाल
भानुपुत्र माली हैं। डि. उद्योग में धारा कर्मचारी को
इलाक़ी लाली देवी मजदूरी उदात्त करने की वधा
कोटा जिला के गांधीपुर के

प्रस्ताव १-11-

जलाशय परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्य में
मजदूरी करने वाले को वध मजदूरी पाये गये कोटा

कोटा के गांधीपुर गांधीपुर

जो मैं यह प्रस्ताव अगले में लाया गया है कि जलाशय
परियोजना के अन्तर्गत यदि कुछ फिट जोग है कि जला
लिफ्ट यदि करने में गहन विचार और तथा कर्मचारी को
जाये दिया जाये लोचन सिंह उमा देवी

कोटा, कोटा को नाद कोटा के गांधीपुर

- ① श्री लाल चंद उमा देवी
- ② श्री राधिका देवी उमा देवी
- ③ श्री देवराव नरसिंह देवी
- ④ श्रीमति हनुमा देवी माली

गांधीपुर श्री देवराव नरसिंह देवी को लायी डि. जोग प्रस्ताव पारित है

17

[illegible]

उपमादना ७: — परिवार खाता अलग कैल बाटे

५१३ ५५१ ९०३

ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। I ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ। ੨੯
੬੯ ਸੀ ੧੯੫੭ ਪਰ ਭਾਲ (੬੨) ੭੭ ੭੭ ੭ ਨਿਕਲਿਓ
ਸੀ ੧੯੫੭ ਪਰ ਭਾਲ (੬੬)

कार्यवाही रजिस्टर

विकास खण्ड

जिला

(हि.प्र.)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	पंचायत एवं सदस्यों की हस्ताक्षर
2	3	4
	<p>जम्बोह को वर्ष 2015-16 में नगर परिषद रायपुर जिला में शामिल किया गया है। ग्राम लम्बा को विकास विभाग में लिए रखने की तथा जम्बोह गौव नगर परिषद में शामिल किए गए। इस गौव के लोग जागावानी, कृषि, एवं पशुपालन का कार्य करते हैं। ग्राम लम्बा गुरुवामी अपने परिवार की आजीवनिक छवि जागावानी एवं पशुपालन से ही चलाते हैं। इसलिए गौव का रखने पर जम्बोह गौव को नगर परिषद रायपुर से ग्राम पंचायत रचौली में मिलाया जावे। गुरुवामी नगर परिषद रायपुर द्वारा लगाया जायवाना कर देने में असमर्थ है। गुरुवामी रखने जम्बोह को नगर परिषद से छिड़ने तथा पानी का तथा कुँआरा लगाने हेतु जम्बोह पुराना पत्र लेने में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है तथा गुरुवामी अपने लीन कलियारों को</p>	

दुर्ग को कलम है। 11/10/05 से रायपुर की ओर 50 कि 70 गौर के दूरे है अन्तर गुरुवामी को ही नगर परिषद के रखा जावे। जम्बोह गुरुवामी से 20 कि 50 मीटर दूर नगर परिषद से ग्राम पंचायत रचौली में मिलाया जावे।

कम: गुरु लम्बा जागावामी

मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध की है गौव जम्बोह तथा रखने को नगर परिषद रायपुर से बाहर करके ग्राम पंचायत रचौली में मिलावे हेतु सम्बन्धित विभाग को आदेश गीध से गीध तक की दूरी पर उसका सही सम्बन्धित कर दाखिल है।

प्रस्तावना: 9. - MDA योजना के अन्तर्गत विभिन्न-विभिन्न स्कूलों की प्राथमिक अड्डेशन करे जाते -

ग्राम लम्बा केन्द्र

मे अध्यक्ष महोदय जी मे यह प्रस्ताव लाया गया है कि ग्राम पंचायत रचौली के अन्तर्गत विभिन्न-विभिन्न पाठशाला में MDA योजना चलाई जा रही है जिसका खासार्थिक अड्डेशन 11-0-2018 से अगले 100 गुरुवामी केन्द्र में किया गया गुरु लम्बा केन्द्र के स्कूल से कार्य महोदयों ने अपने-अपने समस्त रिक्त पदों पर डिप्लोमा ग्राम

कार्यवाही रजिस्टर

...विकास स्वप्न

...जिला

..(हि०प्र०)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान एवं सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4
विमलेश्वर	प्रतापना डाल - गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	127
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	128
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	129
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	130
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	131
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	132
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	133
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	134
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	135
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	136
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	137
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	138
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	139
विमलेश्वर	गुग्गुलु चूनामल में चले रहे विकास काजी काट-पचा	140

(Handwritten notes in Hindi, partially obscured by redaction marks)

कार्यवाही रजिस्टर

033 17H

विकास खण्ड

आमपुरा

जिला

(दि० प्र०)

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पन्नित कार्य का विवरण	प्रारम्भ एवं समाप्ति के हस्ताक्षर
मीर देवी	काम दिनांक 27-01-2019 को आम पंचायत स्थापना की	35/1/19
सुनीता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत प्रचार की जाते	36/1/19
रमा देवी	काम की अनुमति में आम पंचायत निर्माण के	37/1/19
अनन्य देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	38/1/19
माता	आम पंचायत - 1 - आम पंचायत की जाते	39/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	40/1/19
सुनीता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	41/1/19
माता	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	42/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	43/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	44/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	45/1/19

माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	46/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	47/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	48/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	49/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	50/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	51/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	52/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	53/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	54/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	55/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	56/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	57/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	58/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	59/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	60/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	61/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	62/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	63/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	64/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	65/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	66/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	67/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	68/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	69/1/19
माता देवी	आम पंचायत केरु आम पंचायत निर्माण के	70/1/19

उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण
2	3
काला	(15) 11/11/17
जयलक्ष्मी	(16) कि रोड पर जोड़ने का काम करी 4000
सुनीता	(16) कि लड़कियों को डालने का काम करी 4000
काला देवी	
उषा देवी	1654039.32 CB MC 9778 1106012.32
चिन्ता देवी राधापुत्री (अभिजाति)	कुले योग 10 1654039.32
Vijeta	
सुप्रभा	
Chandra	उपस्थित आय-जय का
गीता सुप्रभा	हमारे लक्ष्यमालि के पारित किया गया!
विश्व	प्रमाणित 3: प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना।
Blumshuman	
च-51	ग्राम सभा बैठक में

हसीता देवी	उपस्थित विषय पर विनास्पृष्टि चर्चा की गई।
सुप्रभा	महोदय जी ने कहा गया है कि आज लक्ष्य कार्य
शकुन्तला देवी	प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना चलाए जा रही है
Chander Prakash	नए मोड़ना कृषि विभाग से सम्बन्धित है। समाधि
Chander Prakash	सर्वोच्च स्तर पर आग्रह किया जाता है
Yashwanth	कि आप भी कृषि विभाग में जाकर अपनी
कमला देवी	कृषि की काम करना है प्रमाण पारित है।
Chander Prakash	
देवदूरी	प्रमाणित 4! - स्वच्छ भारत मिशन को चर्चा!
हसीता देवी	
सुप्रभा	केंद्रों के उपस्थित विषय पर
मानविक	विनास्पृष्टि चर्चा की गई।
Shyam Chandra	महोदय जी ने कहा गया है कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वच्छ योजना
राजेश्वरी	है। फौरन फिली की स्वच्छता के बहुत सारे रह
जयलक्ष्मी	छा गई है। महोदय महोदय जी ने बताया कि
नन्द लाल	आइए इसी कि न मुझे न भौच कि जा जाते चर्चा
काला देवी	न ही मुझे न मुझे - केंद्र स्थिति उल्लासित
Anita	प्रमाण पारित है।
Hemlata	
मानविक	

उपस्थिति सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रश्न तथा अन्य सदस्यों के
2	3	4
जामाव ना - 11	राजकीय (प्राथमिक पाठशाला) कच्ची रच्वाली जम्बोह नाया राजकीय वाईट्ट माह माहिने पाठशाला रच्वाली माह माहिने माह माहिने माह माहिने माह माहिने कले बाट	
	राजकीय जम्बोह मे उपस्थित विषय पर विनापुन्य चर्चा ना गई। युन्या उपपत्ता रच्वाली से जामाव माह माहिने गई। राजकीय के समस्त माह माहिने माह माहिने माह माहिने के समस्त राजकीय जम्बोह रच्वाली रजिस्टर, रजिस्टर वही, माह माहिने रजिस्टर, रजिस्टर गई नाया माह माहिने माह माहिने माह माहिने मे माह विनापुन्य माह माहिने माह माहिने रजिस्टर वही जामाव माह माहिने माह माहिने राजकीय वाईट्ट माह माहिने पाठशाला रच्वाली माह माहिने राजकीय जामाव माह माहिने पाठशाला, रच्वाली कच्ची जम्बोह के समस्त रजिस्टर वही पाठशाला नाया माह माहिने माह माहिने जम्बोह से उपपत्ता रच्वाली रजिस्टर पर बाट जामाव माह माहिने माह माहिने	

नहीं की गई। अनाव पदसम्मति ले पाई है।

प्रस्ताव नं. 12 - ८ प्रधानमंत्री अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र
० अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र।

मे डिपलॉम विषय पर विद्यार्थियों के विचार-
विमर्श किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना
के अंतर्गत पत्र ० अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र
आना है। ग्राम सभा के सदस्यों के निर्णयानुसार
० अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र।

कृष्ण - ग्राम सभा के सदस्यों के निर्णयानुसार
१) श्रीमती उतरा देवी का देवी सिंह अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र
२) श्री अमर सिंह का पुरखरा का देवी का देवी सिंह अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र
३) श्री रामेय का अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र।

मे अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र।
ग्राम सभा के सदस्यों के निर्णयानुसार
मे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पत्र
स्वीकृत करने की हवा दे। अनाव पदसम्मति ले
पाई है।

प्रस्ताव नं. 13 - ग्राम सभा के सदस्यों के निर्णयानुसार
मे अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन पत्र।
मे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पत्र
स्वीकृत करने की हवा दे। अनाव पदसम्मति ले
पाई है।

7K
(18.4)

U33

[illegible]

उत्पादन - 14 - मेष 5/24 तथा मूषा 1/24 मेष के कार्य
गोपनीय पारित करे जाय

में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया। परिणाम (इकाई 12) राष्ट्रीय विकास परिषद् समुदाय के लिखित नोट्स में शामिल है। 1974 वर्ष में मानव विकास मंत्रालय द्वारा एक सत्र आयोजित किया गया।

50% DCP

क्र.सं.	कार्य का नाम	विद्यमान राशि
(1)	सुरक्षित बैंड रोपड़ से दरभार	2,00,000 = ₹
(2)	सुरक्षित बैंड सरला डोंग में जख्माद	2,00,000 = ₹
(3)	नि. फाल्गु रास्ता गौक पड़ाई	2,00,000 = ₹

mmGLT

① नि. लिंक रोड आ-तल से पुन्ड 2,00,000/-
② नि. पक्का शान्ता रज्जाली से डेरी बौल 2,00,000/-

सन् १ जलविद्युत वि. परियोजना को लागू गर्न सकिने
 स्थानहरूको विकास गर्न सकिने।
 को सन् १ जलविद्युत वि. परियोजना को लागू गर्न सकिने।

सुविधा

17/08/2022

ग्राम पञ्जीयते पञ्जीयते

(वि.प्र.)

[illegible]

कार्यवाही रजिस्टर 68

सुप्रीम सिटिंग रोल, ज्ञान मुद्रित प्रकाशन :- 233226, 94180 71526

छात्र का नाम

...विकास स्वपद्ध

जिल्हा

..(वि००)

1	2	3	4
प्राचीन भाषा और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निम्नलिखित कार्य का विवरण	प्राप्त तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4
		<p>प्रमाण नं. 15 - इस प्रार्थना विधानी का प्रारम्भ वीमर सैल डिप्टी ग्राव रचाली का निम्नलिखित उपाय पर लागू करने के लिए</p> <p>उक्त सभा के सदस्यों में उपस्थित विभिन्न धर्म विचारधाराओं के लोगों गुरु 1 - चर्चों उपस्थित पारिवर्तित हैं कि मित्रों को पूर्ण रूप से सुझाव प्रदान, जो सु रचाली द्वारा रखने तब उपरान्त ग्राव रचाली में प्रारम्भ वीमर सैल डिप्टी रचाली - चर्चा है ग्राव सभा के कक्षा गुरु कि प्रार्थना मित्रों - चर्चा, ग्राव रचाली में वीमर सैल डिप्टी रचाली सभा है उक्त सभा का वीमर सैल डिप्टी सैम रचाली पर का निम्नलिखित नवीन इमालि प्रार्थना मित्रों का प्रारम्भ वीमर सैल डिप्टी रचाली का उक्त सभा के द्वारा निम्नलिखित उपाय पर ग्राव डिप्टी (मार्ग) प्रमाण सैम सदन में व पारिवर्तित है</p>	<p>97 मुन्नीता</p> <p>98 B. K. B. I.</p> <p>99 का. नं. 1</p> <p>100 क. नं. 1</p> <p>101 क. नं. 1</p> <p>102 क. नं. 1</p> <p>103 क. नं. 1</p> <p>104 क. नं. 1</p> <p>105 क. नं. 1</p> <p>106 क. नं. 1</p> <p>107 क. नं. 1</p> <p>108 क. नं. 1</p> <p>109 क. नं. 1</p> <p>110 क. नं. 1</p> <p>111 क. नं. 1</p> <p>112 क. नं. 1</p> <p>113 क. नं. 1</p>

प्रासावण! 6:	गंगा सुशील केती केशन गोव रचौली को ब्रकान खोलने के लिए जनतापति उभाण पत्र	114 आशा नेगी
	गाम सभा बैठक में उद्योगत विषय पर विचार विमर्श किया गया पारितुका है कि श्री सलिंग राम गोव वरगाई चारदल खेनेरी गोव रचौली में गंगा सुशील केती केशन के नाम ब्रकान खोलना चाहते हैं उनके संग के समान उपलब्ध पुरस्कार नै कदा गया है श्री सलिंग राम सुशील केती केशन श्री उकात सुशील समेत है उनके लक्ष्य से कोई आपाति नहीं है माउ सुशील केती केशन गोव रचौली को उकात खोलने हेतु उनके लक्ष्य प्राप्त जनतापति उभाण पत्र जादी दिम जाया है	115 सुदीपा 116 गंगा राय 117 सुदीपा 118 सुदीपा 119 सुदीपा 120 सुदीपा 121 सुदीपा 122 सुदीपा 123 सुदीपा 124 सुदीपा 125 सुदीपा 126 सुदीपा 127 सुदीपा 128 सुदीपा 129 सुदीपा 130 सुदीपा 131 सुदीपा 132 सुदीपा 133 सुदीपा 134 सुदीपा 135 सुदीपा
प्रासावण! 7:	सुशील विद्या नया (सुशील केशन पास) रमान्तगी को लगान बाट	136 सुदीपा
	गाम सभा बैठक में मे सुदीपा उभाण वरिष्ठता से पारित किया गया है, कि पात्र रमान्तगी के सुशील विद्या सभा प्रमाण पत्रों को केशन पास लक्ष्य प्राप्त करिषमी सुशील केती केशन को पारित सुदीपा केती, किया जाया सुशील सुशील से निम्न लिखित रमान्तगी में पत्र पत्र के लिए दिम गया	136 सुदीपा

पंचायत का नाम,

..विकास स्वण्ड.

जिल्हा

[illegible]

उपलब्ध नही है - गुप्त पंचाशत स्कौली को विभिन्न-विभिन्न
सड़कों निर्माण के लिए समिती स्वीकृत कर लेता है।
गुप्त सड़कों के उपयोग
विषय पर विज्ञापन के द्वारा चर्चा की गई। चर्चा
उपलब्ध प्राप्ति हुआ है कि गुप्त पंचाशत स्कौली
के निर्माण के कुछ मौक़ों पर ले जाते हैं जो सड़क से
जुड़े नहीं हैं बसलियाँ जाँगी की सुविधा के
लिए गुप्त पंचाशत स्कौली को विभिन्न-सड़कों
के लिए समिती स्वीकृत ने अपनी कारिगारों
है नाकि सड़कों का काम दिया जा सके।
हमारा मिशन प्रकाश ले है।

प्रश्न का २ का नाम

अनुमानित राशि

- | क्र | विवरण | प्रमाणित |
|-----|------------------------------------|-----------|
| (1) | नि. लिंक रोड से-तल्लू से पुनिय जोग | 5,00,000= |
| (2) | नि. लिंक रोड सेपट से वरमण्ड | 3,00,000= |
| (3) | नि. लिंक रोड हलोग पुनापली | 5,00,000= |
| (4) | नि. लिंक सेड जमगाट से वरमण्ड जोग | 2,00,000= |

होता। जानाव के माध्यम से जाननीय मुख्यमंत्री गुंडादम डिहादुल उदुम सकार के पनापन अनुलेष होती है। इसके बाद कोप के लिए राशि लौकन कृत की ब्या कर। जानाव स्वयंभारि के पारित कर।

कार्यवाही रजिस्टर

66

बुद्धर सिंह पत्र, उपाय मंडित दूरभाष - 233226, 24185 71324

व्यक्ति का नाम वि.सि.सी. विकास खण्ड रा.प.प. 10 जिला शिवपुर (हि.प्र.)

संख्या	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	प्रधान तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर
1	मोहन लाल	16-01-2018 को ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्राम होकर निम्न निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न में लाई गई।	
2	Ramchar		
3	मोहन लाल		
4	मोहन लाल		
5	मोहन लाल		
6	मोहन लाल		
7	मोहन लाल		
8	मोहन लाल		
9	मोहन लाल		
10	मोहन लाल		
11	मोहन लाल		
12	मोहन लाल		
13	मोहन लाल		
14	मोहन लाल		
15	मोहन लाल		
16	मोहन लाल		

1	Vishal Singh	के सम्बन्ध रखा गया। ग्राम-पंचायत का हवाई	35	मोहन लाल
2	मोहन लाल	ग्राम-पंचायत में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्राम होकर निम्न निम्नलिखित कार्यवाही सम्पन्न में लाई गई।	36	मोहन लाल
3	मोहन लाल		37	मोहन लाल
4	मोहन लाल		38	मोहन लाल
5	मोहन लाल		39	मोहन लाल
6	मोहन लाल		40	मोहन लाल
7	मोहन लाल		41	मोहन लाल
8	मोहन लाल		42	मोहन लाल
9	मोहन लाल		43	मोहन लाल
10	मोहन लाल		44	मोहन लाल
11	मोहन लाल		45	मोहन लाल
12	मोहन लाल		46	मोहन लाल
13	मोहन लाल		47	मोहन लाल
14	मोहन लाल		48	मोहन लाल
15	मोहन लाल		49	मोहन लाल
16	मोहन लाल		50	मोहन लाल

पंचायत का नाम,

...विकास स्वण्ड.

जिला

(हि० प्र०)

समस्या नाम और वर्ष	उपस्थिति सदस्यों का नाम	निष्ठावित्त कार्य का विवरण	प्रधान तथा अन्य सदस्यों को हस्ताक्षर
1	2	3	4
		12. मेरेडियु विलोडि कदमादि/ = 31100	56 8/10/11
		13. मेरेडियु पत्रिका रखत = 6000	57 Kumbhar
		14. मिजो औषधालय निजाम = 15300	58 8/10/11
		15. लाली के लाल = 10000	59 8/10/11
		(10) मिहनेज पात्र मोघ मे	60 8/10/11
		लुडो = 76642	61 8/10/11
		(15) विमली विव = 2588	62 8/10/11
		(16) = 1175471.73	63 8/10/11
		20/11/11 2021/253.72.	64 8/10/11
		(17) उपस्थिति कार्य लाल	65 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	66 8/10/11
		(18) उपस्थिति कार्य लाल	67 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	68 8/10/11
		(19) उपस्थिति कार्य लाल	69 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	70 8/10/11
		(20) उपस्थिति कार्य लाल	71 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	72 8/10/11
		(21) उपस्थिति कार्य लाल	73 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	74 8/10/11
		(22) उपस्थिति कार्य लाल	75 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	76 8/10/11
		(23) उपस्थिति कार्य लाल	77 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	78 8/10/11
		(24) उपस्थिति कार्य लाल	79 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	80 8/10/11
		(25) उपस्थिति कार्य लाल	81 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	82 8/10/11
		(26) उपस्थिति कार्य लाल	83 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	84 8/10/11
		(27) उपस्थिति कार्य लाल	85 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	86 8/10/11
		(28) उपस्थिति कार्य लाल	87 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	88 8/10/11
		(29) उपस्थिति कार्य लाल	89 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	90 8/10/11
		(30) उपस्थिति कार्य लाल	91 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	92 8/10/11
		(31) उपस्थिति कार्य लाल	93 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	94 8/10/11
		(32) उपस्थिति कार्य लाल	95 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	96 8/10/11
		(33) उपस्थिति कार्य लाल	97 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	98 8/10/11
		(34) उपस्थिति कार्य लाल	99 8/10/11
		रखे विलोडि मे पात्रिका विमली/ लाली पात्रिका	100 8/10/11

[illegible]

PART-III

1. PROGRESSIVE MINE CLOSURE PLAN/ RECLAMATION PLAN

1.1. Mine Waste Disposal

a) Year wise generation of mine waste

The year wise detail of mine waste is as follows: -

Year	Mine Waste (MT)	Top Soil (MT)
1st Year	911	607
2nd Year	671	448
3rd Year	895	596
4th Year	829	553
5th Year	800	533
Total	4105	2737



b) Year wise disposal of mine waste

The total of 4105 MT of mine waste will be generated during the five year of mine work. This mine waste along with top soil 2737 MT will be used to establish green belt in the lease area in order to reclaim the land as forest land.

c) Cost of Mine Waste Disposal

The material shall be brought to the dump site as proposed in plate 2, manually and it shall add little addition to the mining cost around Rs. 20/- per tonne of waste. The total waste production in 5 years is 10282 Metric tons. The total cost of dumping shall be around Rs 205640 in 5 years.

d) Top Soil Arrangement

The year wise detail of mine waste is as follows: -

Year	Top Soil (MT)
1st Year	607
2nd Year	448
3rd Year	596
4th Year	553
5th Year	533
Total	2737

The top soil admixed with mine waste will be used for the plantation. This will add additional mine cost of 20 rs per ton.

1.2. Preventive Retaining Structures

Since the area proposed for mining will be reclaimed into forest land (after plantation) in very systematic and scientific manner as proposed, the stochasticity of landslide will be reduced to minimum which can be prevented by temporary barricades around the susceptible points during mining work or by the check dams as shown in plate no.2.

1.2. Plantation Work

The afforestation programme is the most important programme to improve the environment and ecological balance of the area. Grasses and bushes which have fibrous roots are at the first instance grown which give the binding property to the soil. After growing grasses and bushes, other tree species in consultation with the experts will be raised, based on the characteristics of soil, topography and climatic conditions. The year wise area proposed for plantation is as under: -

Sr No	Year	Area in Sq Mts.	No Of Plants
1	1 st Year	400	40
2	2 nd year	400	40
3	3 rd year	400	40
4	4 th Year	400	40
5	5 th Year	400	40
	Total	2000	200



a) **Year Wise Area to be covered under forestation**

400 Sqm (1st Year) + 400 Sqm (2nd year) + 400 Sqm (3rd year) + 400 Sqm (4th Year) + 400 Sqm (5th Year) = 2000 Sqm

b) **Year wise No. of Trees to be Planted**

40 (1st Year) + 40 (2nd year) + 40 (3rd year) + 40 (4th Year) + 40 (5th Year) = 200 Plants

c) **Year wise Cost of Plantation**

The total cost of plantation and its protection by engaging a part time Gardner shall cost 24,000 rs. per year and in five years, the expenditure shall amount to Rs 1, 20,000.

d) **Year Wise survival rate**

The estimated survival rate proposed to be achieved shall be 80%

2. **Strategy for protection of point of public utility etc.** - There is no point of public utility or of interest which need to be protected while under taking mining operations.
3. **Man power development:** - Around 15-20 unskilled people shall be employed to carry on the mining and associated activities and preference shall be given to employ 100% local people.
4. **Use of Mineral:** - The mineral will be used for making angular grit in the already established stone crusher unit in the name and style Mrs. Kanegtu Devi proprietor M/S Bushahr Laghu Udyog.
5. **Any Other relevant information:** - NA

Disaster Management and Risk Assessment:

This should deal with action plan for high risk accidents like landslides, subsidence, flood, inundation in underground mines, fire, seismic activities, tailing dam failures etc. and emergency plan proposed for quick evacuation, ameliorative measures to be taken etc. The capability of lessee to meet such eventualities and the assistance to be required from the local authorities should be described.

The mechanized mining activities in the hilly area may involve any high-risk accident due to side falls/collapse, flying stones due to blasting etc.

The complete mining operation will be carried out under the Management and control of experienced and qualified Miners.

All the provisions of Mines Act 1952, MMR 1961, and other laws applicable to mine will strictly be complied with.



- 23
- During heavy rainfall the mining activities will be suspended, the working will be for 300 days for a year excluding the rainy season and local and national holidays.
 - All persons in supervisory capacity will be provided with proper communication facilities. Competent persons will be provided FIRST AID kits which they will always carry.
 - During benching and soil dump the angle of repose will be maintained to prevent any land slide hazard in the area.



M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material

Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwer1979@gmail.com

UNDERTAKING TO PAY COST OF WILDLIFE MANAGEMENT PLAN

This is to certify that the as per conditions of NWLB the cost of wildlife management plan **@2% of the Total Cost of the project** for Renewal of mining lease of 0.0934 ha (Instead of 0.2898 ha) of forest land for already established Stone Crusher at Pashada and approach road to quarry site at pashada in favour of M/s Bushahar Laghu Udyog VPO Jhakri, Tehsil Rampur Bushahar, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh will be paid towards cost of mitigation measures and wild life conservation plan before Stage-II approval.

Total Project Cost:- Rs. 10,00,000/-

Cost of SMCP @ 2%:- Rs. 20,000/-

M/s. Bushahr Laghu Udyog


Authorised Signatory

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material

Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwerl979@gmail.com

UNDERTAKING FOR MITIGATION MEASURES AND COST OF SMCP

The rock in the mining lease area is quartzite rock which is hard, stable and least prone to slide due to systematic and scientific mining. Moreover, various mitigation measures will be adopted during and after execution of the project like, construction of R/Wall and B/Wall etc. Also, the cost of SMCP will be paid as per guidelines of forest department.

Total Cost of the Project :- Rs. 10,00,000/-

Cost of SMCP @ 0.5% :- Rs. 5000/-

M/s. Bushahr Laghu Udyog
Authorised Signatory

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material

Plant Site:-Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwer1979@gmail.com

Undertaking for Consent of HPSPCB

This is to submit that the consent to operate, from HPSPCB has already been obtained for the period 2010-2011 & 12. The process of renewal of NOC from HPSPCB is under process and will be provided after Stage-I approval.

M/s. Bushahr Laghu Udyog


Authorised Signatory

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material

Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwer1979@gmail.com

UNDERTAKING TO PROVIDE THE NOC OF HPPWD

This is to certify that the process of obtaining NOC from concerned department is under process and will be provided before Stage-II approval. Also, copy of application submitted for the same has been attached and uploaded on the portal.

M/s. Bushahr Laghu Udyog

Authorised Signatory

To

10
Dt. 17-01-2023

The Executive Engineer,
NH Division, Rampur Bhushar,
Distt. Shimla H.P.

Sub. :- Regarding the NOC for Approach road from the NH-5 to already established
stone crusher at Khasra No. 38,508/494/480/33 at near Pashada Bridge.

Sir,

With reference to the above I want to state that my Stone Crusher is the
name and style of M/s Bushahr Laghu Udyod village Pashada Khad P.O. Khanari,
Tehsil Rampur Distt. Shimla, is installed at Khasra Nos. 38,508/494/480/33 near
Pashada Bridge. I want to direct Access / Approach from the NH-5 to my stone
crusher site. Therefore, I request you to kindly give us the No-Objection Certificate at
the earliest.

We will be forever grateful to you for this.

Encl.:-

1. Copy of LOI
2. Revenue Record
3. Site Plan

Yours Faithfully

क नैगन देवी

For M/s Bushahr Laghu Udyog.

M/s. Bushahr Laghu Udyog
Head Office :- V.P. Bhakri
Teh. Rampur Bhushar (H.P.)

Received

Executive Engineer
National Highway Division
HP PWD Rampur Bhushar

17-1-2023

Regd.
No. Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-09/2015- -12703
Government of Himachal Pradesh
Department of Industries
"Geological Wing"

Dated, Shimla-171009, the

24-3-2023

From:

Director of Industries
Himachal Pradesh

To

✓ Smt. Kanegtu Devi,
Prop: M/s Bushahr Laghu Udyog,
VPO Jhakri, Tehsil Rampur,
District Shimla, H.P.

Subject:- Regarding extension of validity period of "Letter of Intent" for grant of mining lease in favour of Smt. Kanegtu Devi, Prop: M/s Bushahr Laghu Udyog, VPO Jhakri, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.

Sir,

This bears reference to your letter dated 05.08.2022 on the subject cited above.

The Govt. vide letter No. Ind-II(F)6-30/2021, dated 14.03.2023 has conveyed the approval for extension of validity period of 'Letter of Intent' for grant of mining lease for further term of one year w.e.f. 25.08.2022 onwards in favour of Smt. Kanegtu Devi, Prop: M/s Bushahr Laghu Udyog, VPO Jhakri, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. for obtaining environment/forest clearances and completing other codal formalities.

The validity period of 'Letter of Intent' for an area measuring 02-23-50 hect. comprising of Kh. Nos. 13/1, 13, 14, 22, 121/1 and 121/2, situated in Mauza/Mohal Pashada, Tehsil Rampur, Distt. Shimla, H.P. is accordingly extended for further term of one year w.e.f. **25.08.2022 onwards** for the purpose of obtaining Environment and Forest Clearances from the competent authorities. The applicant shall not resort to any mining activities till getting the final grant order in this behalf.

Yours faithfully

State Geologist
Himachal Pradesh

Dated

Endst. No. As above.

Copy to the following for information and necessary action:

1. The Principal Secretary (Inds) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla -171002 with reference to letter No. 6-30/2021, dated 14.03.2023.
2. The Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, 'HIM PARIVESH' Phase-III, New Shimla, H.P.
3. The Mining Officer, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.
4. Guard file.

State Geologist
Himachal Pradesh

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material

Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwer1979@gmail.com

Undertaking for Area justification

This is submitted that the proposed area for Stone Crusher is 0.0934 Ha. and the renewal of lease is required for the said area only. The total area mentioned as 0.2898 Ha. has been approved under FCA 1980, and 0.1964 Ha. area has been surrendered and does not require renewal. Hence, only 0.0934 Ha. is final and renewed under FCA, 1980.

M/s. Bushahr Laghu Udyog
Authorised Signatory

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggrigate and all type of Building Material


Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP

Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwer1979@gmail.com

Undertaking Against Point No.-7

This is submitted that the field book with area shown as 0.0801 ha. is not part of the project and has been mistakenly attached with the proposal folders, it may not be treated as part of the project.

M/s. Bushahr Laghu Udyog

Authorised Signatory

M/S BUSHAHR LAGHU UDYOG

(Stone Crushing and Screening Plant)

Producer and Supplier of Sand, Aggregate and all type of Building Material

Plant Site:- Pashada Khad, P.O. Khanari, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP


Head Office:- V.P.O Jhakri, Tehsil Rampur Bsr, Shimla HP-172201

Contact No:- 9816335001, 9418608409 **Email id:-** cheshwer1979@gmail.com

Brief Note on The Project


GoI, MoEF&CC vide their letter No. HPB 414/1997-CHA/3590-94 dated 18.08.2006 has accorded approval for diversion of 0.2898 Hac. Of Forest land for Mining Lease (0.1964 Hac.) and establishment of Stone Crusher (0.0934 Hac.) in favour of M/s Bushahar Laghu Udyog VPO Jhakri, Tehsil Rampur Bushahar and now project proponent wants to run already established Stone Crusher for which sufficient quantity of minerals i.e. stone is available in the nearby forest area to feed the already established stone crusher. Hence, 2.1532 Hac. Forest land (i.e. 1.4612 Hac. For Mining lease, 0.3520 Hac. For approach road to mining site and 0.3400 Hac. For staking of raw material) is required to be diverted under FCA, 1980 for non-forest purpose.

After establishment of stone crusher the demand of grit of whole Rampur Sub-Division and some area of Distt. Kullu as well as Govt. Department for construction of roads, bridges and building will be fulfilled. These development works are paving way to boost the economy of local people. Most of the people now prefer to construct RCC building for their residential purpose for which grit is the basic need. The timber requirement for RCC building is less as compared to primitive method of construction of the house in the area. This will compress the demand of local people for timber from the nearby forests in which they are presently having settlement rights. After establishment of this project it will generate local employment in direct/indirect way and also contribute to generate State Revenue.

M/s. Bushahr Laghu Udyog

Authorised Signatory

फिर उसी तारीख शाखा फिलहाल क-पेकल जगिद माल मशाडा तहसील रामपुर जिला
शिमला हिमाचल प्रदेश

उत्तर पैमाना कक्षिका 10 मीटर प्रति सें.मी.



पुनर्निर्माण किया गया है कि नाल उस
तारीख उसल के मुताबिक सही व फुल
है। पत्राचार 29/07/2019

पैमाना 10 मीटर प्रति सें.मी.

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

रसीद संख्या: 20231315236

जिला: शिमला तहसील: रामपुर
मोहल: पशाडा हदबस्त नं.: 108 साल: 2016-2017

पटवार वृत्त: रचोली
रकबा ईकाई: है-आ-सै

खेवट नं. (हाल/साबका): 33 जिन/33
नाम पत्नी या तरफ मय नाम नम्बरदार: बशरहा खेवट न. (1)
मुताबला व शरह मुआमला व हबूब: 24.14 माल 14.63 स्वाई 9.51
नाम मालिक व एहवाल: सरकार हिमाचल प्रदेश

खतौनी नं.	नाम काश्तकार व एहवाल	नाम चाह व दीगर नम्बर खसरा हाल	रकबा हर खेत व भिजान मय किस्म अराजी	हिस्सा या पैमाना हकीयत व तरीका बाह	कैफियत
लागान जो मुजरा अदा करता है व तफसील शरह व तादाद	सर्वजनिक निर्माण विभाग	3	03-76-46 गै.मु.सड़क	कच्चा व पड़ता बशरह खेवट न.(1)	नोट- बजरीया ई.न. 15 द्वारा खसरा न. 477/33 रकबा 1- 09-00 है. श्रीमति महन्ती देवी मल्ती लच्छमण दास के नाम 8-03-99 तक पट्टा पर स्वीकार हुई है तथा बदले मु. 9,89,985/- रु. में कूक कर दी गई है। I Has Executed lease Deed. vide Reg.No. 446/2018 Dated: 29/08/2018 In Favour Of Sanjeev Mehra पुत्र Sardari Lal Mehra पुत्र -L

केवल जानकारी हेतु

केवल जानकारी हेतु

केवल जानकारी हेतु